बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–1–08/2018 3240 /पटना, दिनांक :– 13.11.19

श्री रामनाथ सुमन, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी (सहायक अभियंता), नगर परिषद् पूर्णियां सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध नगर परिषद, पूर्णियाँ अंतर्गत पदस्थापन अवधि में गंभीर वित्तीय अनियमितता बरतने, कोषागार नियमावली के प्रावधानों का व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करने, पेंशन मद में वितरण पंजी के रख–रखाव में अनियमितता बरतने, रोकड़पंजी में वसूली की गयी राशि की प्रविष्टि नहीं करने, अग्रिम वितरण संबंधी अभिलेख नहीं रखने, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने तथा सरकारी राशि के दुरूपयोग में संलिप्त होने संबंधी आरोपों के लिए दर्ज खजाँची हाट थाना कांड संख्या–181/04 दिनांक 22.06.2004 में निर्गत वारंट एवं लंबे समय से फरार रहने के परिणामस्वरूप पथ निर्माण विभाग के आदेश ज्ञापांक–कैम्प, पूर्णियाँ–2, दिनांक 06.06.2006 द्वारा इन्हें निलंबित किया गया, जिसे पुनः अधिसूचना संख्या–8918 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक 8919 (एस) दिनांक 31.07.2006 द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

2. श्री सुमन के विरूद्ध दर्ज खजाँची हाट थाना कांड संख्या–181/04 में विधि विभाग के आदेश संख्या–4900(जे०) दिनांक 24.08.2007 द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

3. पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–8528 (एस)–सह–पठित ज्ञापांक 8529 दिनांक 08.06.2010 द्वारा श्री सुमन को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया गया तथा निलंबन अवधि का विनिश्चय इनके विरूद्ध दर्ज खजाँची हाट थाना कांड संख्या–181/04 के अंतिम फलाफल पर निर्भर करने का आदेश पारित किया गया। (पृ0–362–361/प0)

4. श्री सुमन के विरूद्ध उक्त आरोपों के लिये विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या–14386–सह–पठित ज्ञापांक 14387 दिनांक 05.10.2010 द्वारा आरोप वर्ष 2003 से निम्नतर कालमान वेतन पर पदावनत तथा सहायक अभियंता संवर्ग में उक्त वर्ष से ही इनकी वरीयता की गणना का दंड संसूचित किया गया।

5. श्री सुमन का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने के आलोक में पथ निर्माण विभाग द्वारा इनसे संबंधित संचिका मूल रूप में इस विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री सुमन के निलंबन अवधि के विनिश्चय के संदर्भ में पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना के आलोक में इनके विरूद्ध दर्ज खजाँची हाट थाना कांड संख्या–181/04 दिनांक 22.06.2004 के अंतिम फलाफल/अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ से किया गया।

6. पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ से प्रतिवेदन स्मारित किये जाने के बावजूद अप्राप्त रहने के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी एवं यह पाया गया कि यद्यपि पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ से खजाँची हाट थाना कांड संख्या–181/04 दिनांक 22.06.2004 के अंतिम फलाफल/अद्यतन स्थिति की जानकारी अबतक अप्राप्त है, तथापि यह भी स्पष्ट है कि इस प्रकरण में श्री सुमन के विरूद्ध दंड अधिरोपित किया गया है।

---

7. अतः उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 11 के सुसंगत प्रावधान के तहत श्री सुमन के निलंबन अवधि दिनांक 06.06.2006 से दिनांक 07.06.2010 में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा, परन्तु यह अवधि अन्य प्रयोजनार्थ गणना की जायेगी, के रूप में विनियमित करने का निर्णय लिया जाता है।

11/11/19

(उदय कान्त चौधरी)
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–08/2018 3210 /पटना, दिनांक :– 13.11.19

प्रतिलिपिः– वरीय लेखा अधिकारी, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय, बिहार, पटना को उनके पत्रांक CC260820190400139 दिनांक 26.08.2019 के प्रसंग में/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/19
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–08/2018 3210 /पटना, दिनांक :– 13-11-19

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जिला पदाधिकारी, पूर्णियां/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियां/ कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी/उप सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/अवर सचिव, लेखा, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री रामनाथ सुमन, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी (सहायक अभियंता), नगर परिषद् पूर्णियां सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता– सर्वोदय नगर, जिला स्कूल रोड, जेल चौक, पूर्णियां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/11/19
अवर सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–08/2018 3210 /पटना, दिनांक :– 13-11-19

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

11/11/19
अवर सचिव

(12)